न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 82/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भीखाराम पुत्र रणुराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम मोहर नगर (भोजासर) त्हसील फलोदी जिला जोधपुर		1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर 2–रहीम खां पुत्र जमाल खां मुसलमान 3–सफी मोहम्मद पुत्र नसीरखां मुसलमान निवासीगण मोहरनगर, तहसील फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक न्यायिक/2017/837 दिनांक 28–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री गिरधर सिह भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार फलोदी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान– 2016 के तहत प्रस्ताव प्रेषित कर ग्राम मोहर नगर तहसील फलोदी के खसरा नंबर 341, 340, 339, 338 की भूमि किस्म बी ।। मे से कुल 6.02 बीघा भूमि मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग हो रही है उक्त भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 व राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत तहसीलदार फलोदी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव मे अंकत खसरा नंबरान की कुल 6.02 बीघा भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस मे दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने संबंधी आदेश कमांक न्यायिक/2017/ 837 दिनांक 28–12–2017 के द्वारा पारित कर दिये । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

इस न्यायालय हाजा मे अपील पेश होने के पश्चात वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से इस अपील मे पक्षकार बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी. का दिनांक 27–9–18 को प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 21–6–19 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इस अपील मे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 बनाये जाने के आदेश पारित किये गये ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन खसरा नंबर 341 का रेकर्डेड खातेदार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार फलोदी के प्रस्ताव पर अपीलांटगण को बिना कोई नोटिस जारी किये तथा बिना पक्षकार बनाये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि मे से गै. मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 तहसीलदार को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई अधिकार नही है कि किसी खातेदार की खातेदारी भूमि की किस्म बदल कर रास्ता घोषित करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करे और न ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम मोहर नगर के जिन खसरा नंबरान मे से रास्ते का आदेश पारित किया है इन खसरो मे मौके पर कदीमी रास्ता कभी नही रहा तथा न ही कोई ग्रेवल सडक है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई मौके की रिपोर्ट मंगाये केवल तहसीलदार के प्रस्ताव को सही मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि किसी खातेदार की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता देने का प्रावधान केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 व 251 ए मे ही है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित करने का कोई प्रावधान नही है तथा न ही खातेदारी की भूमि मे से किस्म परिवर्तन करने का प्रावधान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के तहत अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 28–12–17 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त आदेश मे राज्य सरकार के किसी सर्कुलर / परिपत्र अथवा जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश आदि का उल्लेख नही किया हुआ है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि उक्त अपीलाधीन आदेश रास्ते संबंधी समस्याओ के निवारण अभियान के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, इसलिए अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने तथा बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया था इसलिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी थी तथा जानकारी होने पर अपील पेश करने की अनुमति एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रो को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार फलोदी ने ऐसे कदीमी रास्ते जो खातेदारो की खातेदारी मे से कदीमी से चले आ रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता के रूप मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो की भूमियो को राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. रास्ता के रूप मे इन्द्राज तथा नक्शा ट्रेस मे इनका इन्द्राज करवाने के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने भी राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 10–8–2016 के क्रम मे तहसीलदार फलोदी ने ग्राम मोहर नगर के खसरा नंबरान 341, 340, 339, 338 की भूमियों मे से 6.02 बीघा भूमियो मे मौके पर से चल रहे कदीमी रास्तो का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे नही होने से उनका इन्द्राज गै.मु.रास्ते के रूप मे करवाने के प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित किये जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये भूमि तो खातेदार के खातेदारी मे ही रहेगी केवल प्रस्तावित भूमि की किस्म गे.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है, अपीलाधीन आदेश से खातेदारी समाप्त नही हुई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट अकेले के खसरा नंबर 341 के संबंध मे पारित नही किया गया है बल्कि अपीलाधीन आदेश चार खसरा नंबरान 341, 340, 339, 338 की भूमियों मे से चल रहे कदीमी रास्तो के संबंध मे पारित किया गया है, जिसमे हमारी भी खातेदारी की भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज हुई है तथा यह भी कथन किया कि अन्य किसी खातेदारान ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध को उजर एतराज नही किया है केवल अपीलांट ने ही अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को चुनौती दी है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तावित रास्ते की भूमि के किसी खातेदार को, उसके खातेदारी मे से चल रहे रास्ते की भूमि का इन्द्राज गै.मु.रास्ता दर्ज करने के संबंध मे सूचना या नोटिस दिया जाना नही पाया जाता है, इससे यह प्रकट है

कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से अपील के साथ प्रस्तुत अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–12–17 के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि उक्त आदेश मे राज्य सरकार के किसी परिपत्र एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के किसी आदेश का उल्लेख नही किया हुआ है जिसके अभाव मे यह नही माना जा सकता है कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तो की समस्याओं के निराकरण अभियान के दौरान ही राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसरण मे ही पारित किया गया हो क्योंकि खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है.। परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान के दौरान अभियान अवधि तक ऐसी शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारियो को प्रदत्त की जाती है इसलिए अपीलाधीन आदेश मे राज्य सरकार के परिपत्र, आदेश तथा दिनांक का उल्लेख अपीलाधीन आदेश मे किया जाना नितान्त आवश्यक था, जो नही किया हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार फलोदी द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 एवं रा.भू.अ. नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन कर रास्ते के रूप मे दर्ज करने का कोई प्रावधान नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक न्यायिक/2017/837 दिनांक 28–12–2017 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.28 16:00:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: